भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2082
दिनांक 31 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

बच्चों के लिए पोषणयुक्त आहार

2082. श्री टी.एम. सेल्वागणपति:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छह से तेईस महीने के आयु वर्ग के बच्चों का एक बड़ा हिस्सा अभी भी पर्याप्त पोषण-युक्त आहार प्राप्त नहीं कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) क्या भारतीय छोटे बच्चे अभी भी स्वस्थ्य विकास और मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक विविध/बार-बार दिए जाने वाले भोजन से वंचित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या बच्चों को पर्याप्त कैलोरी तो मिल रही है लेकिन उन्हें विकास के लिए आवश्यक प्रोटीन, सूक्ष्म पोषक तत्व और पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ नहीं मिल रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय प्रस्तावित हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): अनुशंसित आहार मात्रा (रिकमंडेड डाइट्री एलाउंसेज) एवं औसत दैनिक आहार (एडीआई) के मध्य अंतर को समाप्त करने के उद्देश्य से मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत सभी लाभार्थियों, जिनमें बच्चे (6 माह से 6 वर्ष तक), गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं एवं किशोरियां (14-18 वर्ष) शामिल हैं, को अनुपूरक पोषाहार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। यह घर ले जाने वाले राशन (टीएचआर), सुबह का नास्ता एवं पका हुआ गर्म भोजन के रूप में प्रदान किया जाता है।

6 से 23 माह आयु वर्ग के बच्चों का पोषण सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों के माता/पिता को फेस रिकग्निशन सिस्टम (एफआरएस) का उपयोग करते हुए टीएचआर का वितरण किया जाता है। एक सामान्य बालक को 6-12 माह की आयु के लिए 200 किलोकैलोरी ऊर्जा एवं 08-10 ग्राम प्रोटीन, 1-3 वर्ष की आयु के लिए 400 किलोकैलोरी ऊर्जा एवं 15-20 ग्राम प्रोटीन तथा 3-6 वर्ष की आयु के लिए 400 किलोकैलोरी ऊर्जा एवं 15-20 ग्राम प्रोटीन, अनुशंसित 7 आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ, उपलब्ध कराया जाता है।

लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II (जनवरी 2023 में यथा संशोधित) में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार टीएचआर प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, गंभीर तीव्र कुपोषित (एसएएम) बच्चों (6 माह से 5 वर्ष) को टीएचआर के रूप में अतिरिक्त पोषाहार भी उपलब्ध कराया जाता है। पुराने मानक मुख्यतः कैलोरी-विशिष्ट थे; तथापि, संशोधित मानक आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित होने के कारण मात्रा एवं गुणवत्ता दोनों के मामले में अधिक व्यापक एवं संतुलित हैं, जिनमें उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन, स्वास्थ्यवर्धक वसा तथा सूक्ष्म पोषक तत्व (कैल्शियम, जिंक, आयरन, आहार फोलेट, विटामिन-ए, विटामिन-बी6 तथा विटामिन-बी12) का प्रावधान किया गया है।

मंत्रालय द्वारा हाल ही में अनुपूरक पोषाहार संबंधी व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें अनुपूरक पोषाहार की गुणवत्ता, विविधता एवं स्वीकार्यता में सुधार, निर्धारित पोषण मानदंडों एवं गुणवत्ता मानकों के अनुपालन पर बल दिया गया है।

अनुपूरक पोषाहार की स्वीकार्यता तथा उपभोग में वृद्धि के उद्देश्य से राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को खानपान की स्थानीय आदतों, सांस्कृतिक प्राथमिकताओं तथा स्थानीय खाद्य सामग्रियों की उपलब्धता के आधार पर मेन्यू एवं व्यंजन तैयार करने का पूर्ण छुट दी गई है। पूरक पोषण में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अनाज, मिलेट (श्री अन्न), दलहन, सब्जियां, मेवे तथा अन्य पोषक तत्वों वाले खाद्य पदार्थों को सम्मिलित किया गया है, जिससे आहार विविधता को बढ़ावा देने के साथ-साथ लाभार्थियों के बीच इसकी स्वीकार्यता भी सुनिश्चित होती है।
